बिल का सारांश

राजस्थान विधान परिषद बिल, 2013

- राज्यसभा में 6 अगस्त, 2013 को राजस्थान विधान परिषद बिल, 2013 पेश किया गया और इसके बाद बिल को विधि और न्याय संबंधी स्टैंडिंग कमिटी के पास विचारार्थ भेज दिया गया।
- बिल में राजस्थान राज्य में विधान परिषद के सृजन का प्रस्ताव है।
- संविधान का अनुच्छेद 169(1) कहता है कि संसद किसी राज्य में विधान परिषद का उत्सादन (एबॉलिश या समाप्ति) या सृजन कर सकती है। संसद द्वारा ऐसा करने के लिए, राज्य की विधानसभा को सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करना होता है।
- 18 अप्रैल, 2012 को राजस्थान विधानसभा ने 66 सदस्यों की राज्य विधान परिषद के सृजन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च "पीआरएस") की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

झलक कक्कड़
jhalak@prsindia.org

20 अगस्त, 2013